प्रश्न सं. [क्र. 1112]

प्रपत्र 'अ'

क्र.	कार्य का नाम	बजट में अंकित कार्य का विवरण	बजट में प्रावधान लंबाई (कि.मी.) में	बजट में प्रावधान राशि रू. (लाख में)	विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई का संपूर्ण विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	मनावर रिंग रोड का निर्माण	मुख्य बजट वर्ष 2019–20, मद क्र. 03 के सरल क्र. 436	10.00	600.00	मुख्य बजट वर्ष 2019–20 में मनावर रिंग रोड की लंबाई 10 कि.मी. एवं लागत राशि रू. 600.00 लाख प्रावधानित थी। जिसके विरूद्ध 4 लेन सी.सी. मार्ग लंबाई 17.10 कि.मी. का विस्तृत प्राक्कलन राशि रू. 10903.17 लाख का प्रस्तुत किया गया था। यह बजट में प्रावधनित राशि से अत्याधिक होने के कारण पुनः सुधार हेतु संभागीय कार्यालय को वापस किया गया। संभागीय कार्यालय के द्वारा लंबाई में संशोधित करते हुये 2 लेन मार्ग कुल लंबाई 12.40 कि.मी. राशि रू. 5276.93 लाख का दिनांक 24.02.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भू–अर्जन हेतु राशि रू. 1993.34 लाख का प्रावधान प्रस्तावित था। यह प्रावधान अत्याधिक होने से एवं रिंग रोड की उपयोगिता के संबंध में प्रतिवेदन के साथ डी.पी.आर. पुनः प्रस्तुत करने हेतु संभागीय कार्यालय को बिना किसी कार्रवाई के लौटाया गया। इसी अवधी में दिनांक 25.03.2022 से नवीन दर अनुसूची लागू की गई जिसके आधार पर पुनः इस कार्य का पुनरीक्षित विस्तृत प्रस्ताव कुल लं. 12.40 कि.मी. का भू–अर्जन की राशि रू. 1076.21 लाख के प्रावधान के साथ 2 लेन मार्ग के निर्माण हेतु प्राक्कलनीत राशि रू. 7157.02 लाख का प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव पर संपूर्ण विचारोपरांत सक्षम समिति से प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासन को प्राप्त है। सक्षम वित्तीय समिति की दिनांक एवं समय का निर्धारण होने पर, समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।	सक्षम समिति से अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। तदोपरांत निविदा प्रक्रिया से संविदाकार के चयन उपरांत निर्माण कार्य किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (रोड)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय